संख्या– 474 /77–4–19–474

प्रेषक,

श्री राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यीडा/गीडा/
सीडा/लीडा/यूपीसीडा/यूपीडा

औद्योगिक विकास अनुभाग– 4 लखनऊ : दिनांक 08 मार्च, 2019

विषयः– **अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के नियम 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 के वेतनमान रू0 9300–34800, ग्रेड–पे रू0 4600/– तक के सभी पदों के कार्मिकों से सम्बन्धित निम्नलिखित शक्तियों एवं कृत्यों का प्रतिनिधायन सम्बन्धित मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किए जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) चरित्र पंजियों का रख–रखाव।
(2) प्रतिकूल प्रविष्टियों संसूचित करना तथा उनके विरूद्ध प्रत्यावेदनों पर निर्णय।
(3) सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.)।
(4) अवकाश की स्वीकृति।
(5) निलम्बन एवं अनुशासनिक कार्यवाही करने तथा लघु दण्ड देने का अधिकार। दीर्घ शास्तियां अधिरोपित करने से पूर्व शासन की अनुमति आवश्यक होगी।
(6) न्यायिक विवादों में प्रतिवाद/प्रतिशपथ–पत्र दाखिल करना व पैरवी।

उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियामवली, 2018 में सम्मिलित सभी श्रेणी के पदो के सापेक्ष कार्यरत कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति।

2. उक्त प्रतिनिधायन के अनुसार राज्य सरकार की शक्तियों का विधि सम्मत कियान्वयन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/77–4–19तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु।
2. समस्त अनुभाग।
3. गार्ड फाईल।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।